

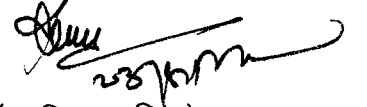
उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/5710 /

जबलपुर, दिनांक 28/08/2025

श्री राजेश बाल्मिक, कोर्ट अटेंडेन्ट एवं श्री अशोक बाल्मिक, अशर, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर द्वारा दिनांक 19.06.2025 को रजिस्ट्रार जनरल महोदय के कार्यालय में साफ-सफाई के कार्य हेतु ड्यूटी लगाये जाने पर निर्देशित किये जाने पर भी सफाई का कार्य ठीक ढंग से नहीं करने के फलस्वरूप चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहें।



(धरमिन्दर सिंह)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/5711 /

जबलपुर, दिनांक 28/08/2025

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
3. सहायक स्थापना/वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ, जबलपुर,
5. श्री राजेश बाल्मिक, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर
6. श्री अशोक बाल्मिक, अशर, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)